राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 2 (1) साप्र/2/2015 जयपुर, दिनांक 24.10.16

–: आदेश :–

श्री ओमकार सिंह आशियां, उपायुक्त (कर–II), वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता संख्या 35/2013 है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.2020 है, को उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार राजकीय आवास संख्या II/40, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्ते:–

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–

    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री , सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 432/एम/जीएडी/16 दिनांक 20.10.2016 के क्रम में।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड—III, मुख्यालय, जयपुर
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर ।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, रामबाग सर्किल, गांधीनगर, जयपुर ।
10. श्री ओमकार सिंह आशियां, उपायुक्त (कर—II), वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या—6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्ते संख्या—7 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
14. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप—3) विभाग जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.1(1)साप्र/2/2016 जयपुर, दिनांक : 25/10/2016

–: आदेश :–

श्री उमेश कुमार, आई.ए.एस., अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर, जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 26/2016 है तथा सेवानिवृति दिनांक 30.4.2018 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुये "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर इस विभाग के आदेश संख्या प. 1 (1) साप्र/2/2016 दिनांक 28.9.2016 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या 1/23, गांधीनगर, जयपुर का कब्जा नहीं लेने के इच्छुक नहीं होने के कारण आवंटन आदेश **एतद्द्वारा निरस्त** किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 श्री उमेश कुमार, आई.ए.एस., अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर।
2 संभागीय आयुक्त/ज़िला कलेक्टर, जयपुर।
3 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
5 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विभाग, जयपुर।
6 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग; नगर खण्ड –III, जयपुर।
8 कोषाधिकारी कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
9 संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
10 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ जयपुर वि0वि0 निगम लि0 गांधीनगर, जयपुर।
11 सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर –कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
12 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावें।
13 संबंधित अधिकारीगण।
14 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
15 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

D:\kailash\Allotment Order 2013\Allotment III.doc